



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

No. 676

28 Bhadra, 1938 (S)

Ranchi, Tuesday, 19th September, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

19th September, 2017

S.O. No.- 81 - Dated - 19th September, 2017-- In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) and in supercession of notification S.O 79 dated 19 September, 2017, published in the Jharkhand Gazette, except as respects things done or omitted to be done before such supercession, the Commissioner, hereby extends the time limit for furnishing the return by an Input Service Distributor under sub-section (4) of section 39 of the said Act read with rule 65 of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, for the month of July, 2017 upto the 13th October, 2017.

2. The extension of the time limit, for furnishing the return under sub-section (4) of section 39 of the aforesaid Act, for the month of August, 2017 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

3. This notification shall be deemed to be effective from the 11th day of September, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017]
By the order of the Governor of Jharkhand

K. K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum Commissioner

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

19 सितम्बर, 2017

एस० ओ०- 81, दिनांक 19 सितम्बर, 2017-- आयुक्त, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं० एस० ओ० 79 तारीख 19 सितम्बर, 2017, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, झारखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 65 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4) के अधीन, इनपुट सेवा वितरक द्वारा, जुलाई, 2017 मास के लिए, विवरणी देने की समय-सीमा को, 13 अक्टूबर, 2017 तक बढ़ाते हैं।

2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4) के अधीन, अगस्त, 2017 मास के लिए, विवरणी देने की समय-सीमा के विस्तार को, बाद में राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना 11 सितम्बर, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[सं.सं. वा०कर/जी०एस०टी०/04/2017]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त।